



# 68वें



## स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर

समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

## देश की राजधानी के समीप बनायें अपना आशियाना

सिद्धार्थ विहार योजना के सेक्टर-7, गाजियाबाद में

## हिण्डन, यमुना एवं गंगा अपार्टमेन्ट में फ्लैटों का

# पंजीकरण

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए :  
[www.upavp.com](http://www.upavp.com) पर लाग आन करें।



सेवोत्तम प्रमाणित

## उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.


Website : <https://www.upavp.com>, E-mail : [upavp@sancharnet.in](mailto:upavp@sancharnet.in)



## KEY PLAN SIDDHARTH VIHAR

### परियोजना का लोकेशन प्लान

- योजना दिल्ली-लखनऊ मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH-24 पर स्थित है।
- योजना से दिल्ली की दूरी मात्र 05 किमी0 है।
- योजना से नोएडा की दूरी मात्र 02 किमी0 है।
- NH-24 एवं NH-58 को जोड़ने के लिए प्रस्तावित 75मी0 चौड़ा एक्सप्रेस हाइवे योजना से होकर निकल रहा है।
- सन्तोष मेडीकल कालेज योजना की सीमा पर स्थित है।
- योजना परिषद द्वारा विकसित वसुन्धरा योजना से मात्र 1 किमी0 की दूरी पर स्थित है।
- 50 क्यूसेक गंगा जल वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट पूर्व में ही योजना में निर्मित है तथा 100 क्यूसेक गंगा जल परियोजना का कार्य योजना में ही निर्माणाधीन है।



पंजीकरण हेतु निर्धारित शहर/योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्माण एवं आवंटन आदि के सम्बन्ध में 30प्र0 आवास विकास परिषद के निम्न कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं

**अधिकाारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1**

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद  
सेक्टर 16-ए, वसुन्धरा काम्पलेक्स  
वसुन्धरा गाजियाबाद  
दूरभाष : 0120-2882481

**अधिकाारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-16**

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद  
सेक्टर 16-ए, वसुन्धरा काम्पलेक्स  
वसुन्धरा गाजियाबाद  
दूरभाष : 0120-2882112

**अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम वृत्त**

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद  
सेक्टर 16-ए, वसुन्धरा काम्पलेक्स  
वसुन्धरा गाजियाबाद  
दूरभाष : 0120-2882201

**उप आवास आयुक्त**

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद  
सेक्टर 16-ए, वसुन्धरा काम्पलेक्स  
वसुन्धरा गाजियाबाद  
दूरभाष : 0120-2882025

# आपने घर का सच होता आपना सपना



मूल्य : ₹ 952 + 48 (वैट) = ₹ 1000/-



## उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website : <https://www.upavp.com>, E-mail : [upavp@sancharnet.in](mailto:upavp@sancharnet.in)

# गंगा, यमुना एवं हिण्डन अपार्टमेंट सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद



# 1 BHK CLUSTER PLAN



# 1 BHK

UNIT BUILT UP AREA = 51.28 SQM  
SUPER BUILT UP AREA = 64.61 SQM

## TYPE - A



## TYPE - B



## TYPE - C



## 2 BHK CLUSTER PLAN





## 2 BHK TYPE A

UNIT BUILT UP AREA = 81.26 SQM  
SUPER BUILT UP AREA = 97.16 SQM




## 2 BHK TYPE B

UNIT BUILT UP AREA = 81.26 SQM  
SUPER BUILT UP AREA = 97.16 SQM



## 2BHK + STUDY CLUSTER PLAN



## 2 BHK+STUDY

UNIT BUILT UP AREA = 97.54 SQM  
SUPER BUILT UP AREA = 116.66 SQM

Type-A



Type-B



# PENTHOUSE PEARL

TOTAL BUILT UP AREA = 139.21 SQM  
UNIT SUPER AREA = 166.50 SQM  
TERRACE AREA = 37.51 SQM




UPPER FLOOR PLAN



LOWER FLOOR PLAN

### 3 BHK CLUSTER PLAN



### 3 BHK

BUILT UP AREA = 107.70 SQM  
UNIT SUPER AREA = 128.06 SQM



## PENTHOUSE RUBY

TOTAL BUILT UP AREA = 175.10 SQM  
SUPER AREA = 208.19 SQM  
TERRACE AREA = 38.69 SQM




UPPER FLOOR PLAN



LOWER FLOOR PLAN



## 4BHK+STUDY & 3 BHK+STUDY CLUSTER PLAN



## PENTHOUSE DIAMOND

TOTAL BUILT UP AREA = 199.74 SQM  
 UNIT SUPER AREA = 229.70 SQM  
 TERRACE AREA = 64.45 SQM



UPPER FLOOR PLAN



LOWER FLOOR PLAN



### 4BHK+STUDY

BUILT UP AREA = 165.15 SQM  
 UNIT SUPER AREA = 189.92 SQM



### 3BHK+STUDY+TERRACE

BUILT UP AREA = 144.11 SQM  
 UNIT SUPER AREA = 165.73 SQM  
 TERRACE AREA = 20.89 SQM



### 3BHK+STUDY

BUILT UP AREA = 144.11 SQM  
 UNIT SUPER AREA = 165.73 SQM

# SITE LAYOUT PLAN



## परियोजना का विवरण

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सिद्धार्थ विहार योजना, सेक्टर-7, गाजियाबाद के अन्तर्गत स्व वित्त पोषित बहुमंजिलीय आवासीय योजना एवं सामान्य बहुमंजिलीय आवासीय योजना 2014 (गंगा, यमुना एवं हिण्डन अपार्टमेन्ट) में प्रस्तावित भवनों हेतु आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। विशिष्टियाँ निम्नवत् प्रस्तावित हैं।

### भवनो की विशिष्टियाँ :

- स्ट्रक्चर :-** अतिप्रभावशाली भूकम्प रोधी आर0सी0सी0 शियरवाल तकनीक पर आधारित स्ट्रक्चर का निर्माण।
- फर्श :-** बैडरूम/ड्राइंग रूम/डायनिंग लॉन्ज में विट्रिफाईड टाइल्स एवं कॉमन क्षेत्र में कोटा स्टोन/मार्बल फ्लोरिंग।
- किचन :-** कुकिंग प्लेट फार्म पर ग्रेनाइट, प्लेट फार्म के ऊपर दो फिट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल्स, स्टेनलेस स्टील का सिंक।
- ट्वायलेट :-** फर्श पर एन्टीस्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, एक ट्वायलेट में इण्डियन व अन्य में यूरोपियन सीट, सिस्टर्न व एक-एक वाशबेसिन तथा क्रोम प्लेटेड टैप फिटिंग्स।
- चौखट :-** एंगिल आइरन/मलेशियन शाल वुड की चौखट।
- दरवाजे :-** फ्लैट्स में मुख्य द्वार पर डिजाइनर डोर तथा अन्य समस्त फ्लश डोर।
- खिडकियाँ :-** यू-पी0वी0सी0 विण्डो व वायर मेश जाली।
- रंग रोगन :-** 1 बी0एच0के0 एवं 2 बी0एच0के0 फ्लैट्स में भीतरी दीवारों व छत पर ऑयल बाउण्ड डिस्टेम्पर तथा अन्य भवनों में आयल बाउण्ड पेन्ट तथा बाहरी सतह पर अपेक्स फिनिशिंग दरवाजों पर एनेमल पेन्ट/पालिश।
- जलापूर्ति :-** सभी फ्लेट हेतु छत पर आर0सी0सी0 का संयुक्त टैंक व अलग से ग्राउण्ड वाटर स्टोरेज की सुविधा।
- विद्युत :-** अग्निरोधक पी0वी0सी0 कॉपर कन्सील्ड वायरिंग व पावर व ए0सी0 प्वाइंट का प्राविधान, पावर बैकअप हेतु अतिरिक्त वायरिंग टी0वी0 एवं फोन साकेट व एम0सी0बी0।
- स्टेयर केस :-** कोटा स्टोन फ्लोरिंग, आयरन रेलिंग।
- डोर फिटिंग्स :-** स्टैनलस स्टील/गोल्डन फिनिश एल्युमीनियम फिटिंग्स।

### अन्य प्राविधान :-

- 1 इन्टरकॉम व टेलीफोन/इन्टरनेट वायरिंग का प्राविधान।
- 2 मुख्य दरवाजे पर नाइट लैच एवं मैजिक आई का प्राविधान।
- 3 प्रवेश द्वार में मोर्टिस लॉक का प्राविधान।
- 4 वाशिंग मशीन के लिये अलग से वाटर व विद्युत प्वाइंट का प्राविधान।
- 5 केबिल / डिश टी0वी0 नेटवर्क हेतु वायरिंग का प्राविधान।
- 6 परिसर में सामुदायिक केन्द्र, क्लब, जिम एवं स्वीमिंग पूल का प्राविधान।

## उपलब्ध फ्लैटों का विवरण

सम्पत्ति का विवरण						विकल्प अ स्ववित्त पोषित योजना में भुगतान विवरण				विकल्प ब सामान्य पंजीकरण योजना में भुगतान का विवरण				
क्र. सं.	फ्लैट का प्रकार	मंजिले	अवशेष फ्लैट	कुर्सी क्षेत्रफल (व.मी.)	सुपर फ्लिंथ एरिया (व.मी.)	अनु. लागत (लाख में)	पंजीकरण धनराशि (लाख में)	चयन के पश्चात मांग पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय धनराशि (लाख में)	अवशेष भुगतान चार तिमाही किश्तों में (प्रत्येक किश्त की धनराशि (लाख में))	अनुमानित लागत (लाख में)	पंजीकरण धनराशि (लाख में)	चयन के पश्चात मांगपत्र निर्गत करने के 30 दिन के अंदर देय धनराशि (लाख में)	फ्लैट का प्रदेशन पत्र जारी करने / भौतिक कब्जे से पूर्व देय धनराशि (लाख में)	अवशेष भुगतान जिस पर 10 वर्ष की 11.5 प्रतिशत ब्याज सहित मासिक किश्तें देय (लाख में)
<b>हिन्दन अपार्टमेंट</b>														
1.	01 BHK	S+20	10	51.28	64.61	32.48	1.63	4.85	6.50	38.23	1.91	3.82	13.385	19.115
2.	02 BHK	S+18	106	81.26	97.16	49.22	2.47	7.39	9.84	57.87	2.90	5.80	20.235	28.935
<b>यमुना अपार्टमेंट</b>														
1.	02 BHK+ स्टडी	S+20	172	97.54	116.66	59.24	2.97	8.87	11.85	69.64	3.49	6.98	24.35	34.82
2.	03 BHK	S+20	102	107.70	128.06	65.38	3.27	9.81	13.075	76.84	3.85	7.70	26.87	38.42
3.	पेन्ट हाउस पर्ल	19-20वें मंजिल पर	06	139.21	166.50+ 37.51 टैरेस	87.42	4.37	13.11	17.485	102.66	5.14	10.28	35.91	51.33
4.	पेन्ट हाउस रूबी	19-20वें मंजिल पर	09	175.10	208.19+ टैरेस 38.69	107.89	5.40	16.17	21.58	126.69	6.34	12.68	44.325	63.345
<b>गंगा अपार्टमेंट</b>														
1.	03 BHK+ स्टडी	S+20	123	144.11	165.73	84.48	4.23	12.67	16.895	99.24	4.97	9.94	34.71	49.62
2.	03 BHK+ स्टडी+ टेरिस	17वीं मंजिल पर	05	144.11	165.73+ टैरेस 20.89	94.27	4.72	14.15	18.85	110.70	5.54	11.08	38.73	55.35
3.	04 BHK+ स्टडी	S+20	107	165.15	189.92	96.92	4.85	14.55	19.38	113.84	5.70	11.40	39.82	56.92
4.	पेन्ट हाउस डायमण्ड	19-20वें मंजिल पर	03	199.74	229.70+ टैरेस 64.45	121.10	6.06	18.16	24.22	142.16	7.11	14.22	49.75	71.08
	कुल		643											

नोट:-सम्पत्ति की संख्या एवं अनुमानित लागत में कमी / वृद्धि सम्भावित है।

## पंजीकरण हेतु प्राविधान :

- 1 बहुमंजिले फ्लैट्स के प्रत्येक टावर हेतु अपेक्षित क्षमता के ट्रांसफार्मर एवं अन्य कॉमन सुविधाओं जैसे—लिफ्ट, जलापूर्ति एवं कैम्पस लाईट इत्यादि के पॉवर बैकअप हेतु जनरेटर का भी प्राविधान किया गया है।
- 2 बाउण्ड्रीवाल, गार्डरूम, सामुदायिक केन्द्र तथा अन्य सामुदायिक सेवाओं के लिये योजना में प्राविधान किया गया है।
- 3 फ्लैट्स में फायर सेफ्टी एवं परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया गया है।
- 4 इंगित मूल्य अनुमानित है। फ्लैट्स का निर्माण 18 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम मूल्य देय होगा। भवनों के वर्तमान अनुमानित मूल्य में अपरिहार्य कारणों जैसे—भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में अप्रत्याशित वृद्धि होने पर भी निर्धारित मूल्य में आंशिक बढ़ोत्तरी सम्भव है।
- 5 फ्लैट्स की टाइप डिजाइन व ले—आउट में आवश्यकतानुसार आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है।
- 6 भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल के फ्लैट्स के आवंटियों को लोकेशन चार्ज के रूप में विक्रय मूल्य का क्रमशः 9. 2 व 1 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देना होगा।
- 7 सामान्यतः एक श्रेणी में कराये गये पंजीकरण अन्य श्रेणियों में स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे यदि किसी श्रेणी में पंजीकरण प्रस्तावित भवनों की संख्या से अधिक होता है तो परिषद उक्त भवनों का निर्माण योजना के अन्य सेक्टरों में कराये जाने पर विचार कर सकती है।
- 8 उक्त अनुमानित / आगणित मूल्य के अतिरिक्त प्रत्येक आवंटी को कार पार्किंग के लिए स्पेस, स्टिल्ट / खुला / कवर्ड स्थान आरक्षित कराना अनिवार्य होगा। कवर्ड कार पार्किंग के लिए प्रति कार पार्किंग ₹0—1.75 लाख व खुले के लिए ₹0—0.75 लाख अतिरिक्त देय होगा। उपलब्ध पार्किंग स्पेस आवंटियों के मध्य लाटरी के माध्यम से आवंटित किये जायेंगे।
- 9 प्रत्येक आवंटी को योजना के कुल सुपर एरिया में आवंटित सुपर एरिया के अनुपात में ही योजना की भूमि में फ्री—होल्ड चार्ज आवंटन तिथि को प्रचलित दर पर देना होगा।
- 10 परिसर का रख—रखाव प्रथम फ्लैट के कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक परिषद द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, उसके उपरान्त आवंटियों द्वारा नियमानुसार “रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी” का गठन करते हुए उसके द्वारा रख—रखाव कराया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसायटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
- 11 प्रथम फ्लैट के भौतिक कब्जे की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटियों को पंजीयन (रजिस्ट्री) के पूर्व “कार्पस फण्ड” में एक मुश्त निर्धारित धनराशि जमा करनी होगी। यह धनराशि 1 BHK भवन हेतु ₹0—100000.00, 2 BHK भवन हेतु ₹0—145000.00, 2 BHK+study भवन हेतु ₹0—175000.00 3 BHK भवन हेतु ₹0—190000.00 एवं 3 BHK+study भवन हेतु ₹0—250000.00 तथा 4 BHK+study भवन हेतु ₹0—285000.00 एवं पेन्ट हाउस पर्ल हेतु ₹0—290000.00 पेन्ट हाउस रूबी हेतु ₹0—340000.00 पेन्ट हाउस डायमण्ड हेतु ₹0—370000.00 एवं 3 BHK+study +Terrace हेतु 330000.00 अतिरिक्त देय होगी।
- 12 परिसर की सामान्य सेवाये जैसे—लिफ्ट, जनरेटर, कैम्पस लाईट, विद्युत बिल एवं सफाई इत्यादि के नियमित रख—रखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट्स के आवंटी से प्रथम व्यक्ति को कब्जा दिये जाने की तिथि से प्रतिमाह भवनों के सुपर प्लिन्थ एरिया के अनुसार ₹0—1.50 प्रति वर्गफुट की दर से रख—रखाव शुल्क लिया जायेगा, जिसे बाद में परिषद अथवा सोसायटी को कम व अधिक करने का अधिकार होगा।
- 13 योजना में प्रथम व्यक्ति को कब्जा दिये जाने की तिथि से दो वर्ष के बाद सामान्य सेवाओं के मेन्टीनेन्स का कार्य एवं उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि परिषद द्वारा रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी को हस्तगत कर दी जायेगी, तत्पश्चात् सोसायटी द्वारा उक्त योजना की सामान्य सुविधाओं के रख—रखाव हेतु आने वाला व्यय आवंटियों की सहमति से निर्धारित अपने श्रोतो से वहन करना होगा।
- 14 राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा अलग से कोई टैक्स जैसे—वेट, जी.एस.टी. या अन्य टैक्स आरोपित किया जाता है तो वह स्वयं आवंटी को वहन करना होगा।

- 15 भारत सरकार द्वारा लागू सर्विस टैक्स 3.09 प्रतिशत की दर से सम्पत्ति के मूल्य पर प्रत्येक किश्त के साथ देय होगा। शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित दरों के अनुसार भुगतान देय होगा।
- 16 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-1ए में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत ₹0-50.00 लाख से अधिक की सम्पत्ति पर श्रोत पर 01 प्रतिशत आयकर कटौती का प्राविधान है। ₹0-50.00 लाख से अधिक मूल्य की सम्पत्ति के आवंटी किश्त से 01 प्रतिशत धनराशि आयकर के रूप में कटौती कर क्रेता द्वारा TIN वेबसाइट पर उपलब्ध 26QB के माध्यम से आयकर विभाग में परिषद के पैन संख्या-AAAJU0103A में धनराशि समयान्तर्गत जमा कर फार्म नं.-16बी की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। उक्त जमा धनराशि की पुष्टि 26AS से करने के उपरान्त ही सम्पत्ति के खाते में प्रविष्ट की जायेगी।

### पंजीकरण हेतु पात्रता :

- 1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 3 फ्लैट हेतु आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

### पंजीकरण के नियम :

- 1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें।
- 2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी अधिकृत निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नकों व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।
- 3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी केलिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति-पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकरण व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा पुस्तिका में संलग्न निर्धारित रिफण्ड बाउचर पर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में आवेदन करना होगा एवं नियमानुसार पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी।
- 5 यदि कोई आवेदक पात्रता चयन हो जाने के पश्चात् तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। तथा उक्त जमा धनराशि से शासन के आदेशानुसार सर्विस टैक्स की कटौती भी की जायेगी। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित संलग्न रिफण्ड बाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण के बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।
- 6 फ्लैट्स निर्माण में विलम्ब के कारण यदि किसी आवंटी को अन्तिम निर्धारित किश्त जमा करने के 15 माह बाद तक भी परिषद फ्लैट्स आवंटित नहीं कर पाता है तो आवंटी की जमा धनराशि अन्तिम किश्त जमा करने के आगामी माह से, धनराशि वापसी की मांग के पूर्व माह तक, परिषद के नियमानुसार तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज अथवा परिषद द्वारा निर्धारित ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।
- 7 यदि किन्हीं कारणों से परिषद द्वारा यह योजना संचालित न करने का निर्णय लिया जाता है तो पंजीकृत आवेदकों/आवंटियों की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। किन्तु इस स्थिति में धनराशि के एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में ही तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज दिया जायेगा।
- 8 इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदक को परिषद फ्लैट्स देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को



सम्पत्ति आवंटित नहीं हो पाती है तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

- 9 यह पंजीकरण स्व वित्त पोषित योजना के साथ-साथ सामान्य श्रेणी में भी खोला जा रहा है। इच्छुक आवेदक केवल एक श्रेणी का चयन कर आवेदन कर सकते हैं। दोनों श्रेणियों में किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा एवं इस दशा में केवल स्व वित्त पोषित योजना में ही आवेदन पात्र माना जायेगा।
- 10 परिषद नियमानुसार आरक्षण देय होगा। स्व वित्त पोषित योजना में प्राप्त आवेदन पत्रों को सामान्य श्रेणी में प्राप्त आवेदन पत्रों से वरीयता दी जायेगी।

## भुगतान का तरीका :

### विकल्प-“अ” (स्व-वित्त पोषित पंजीकरण योजना)

- 1 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में निर्धारित बैंक शाखा में जमा करना है तथा शेष धनराशि 04 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी। समस्त भुगतान बैंक ड्राफ्ट / बैकर्स चैक के माध्यम से ही स्वीकार होगा।
- 2 फ्लैट के निर्माणाधीन अवस्था में लाटरी से आवेदक को फ्लैट का नम्बर आवंटित किया जायेगा।
- 3 मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किये जाने पर किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, जो अधिकतम 03 माह होगी, परिषद, नियमानुसार 13.5 प्रतिशत की दर से पूर्ण माह का ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
- 4 आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।
- 5 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटि को करना होगा।
- 6 पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट अथवा बैकर्स चैक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट बैकर्स चैक “उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद” / “UPAVP” के नाम जो गाजियाबाद शहर / दिल्ली में देय हो, के पक्ष में होना चाहिये। उक्त ड्राफ्ट मांग-पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या / चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर परिषद खाते में जमा करना होगा।

### “विकल्प-ब” (सामान्य पंजीकरण योजना)

- 1 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन होने पर मांग पत्र निर्गत किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से 30 दिन के अन्दर निर्धारित धनराशि बैंक कार्य दिवस में परिषद के बैंक खाता में जमा करना होगा।
- 2 निर्माणाधीन अवस्था में आवेदक को लाटरी ड्रा के द्वारा फ्लैट के नम्बर का आवंटन कर दिया जायेगा। फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर मूल्यांकन स्वीकृत उपरान्त फ्लैट का अन्तिम मूल्य सूचित करते हुए प्रदेशन पत्र जारी किया जायेगा। प्रदेशन पत्र जारी होने के 30 दिन के अन्दर शेष एकमुश्त धनराशि, एक मासिक किश्त व विविध देयको का भुगतान करना होगा, शेष 50 प्रतिशत धनराशि की 10 वर्ष की 11.5 प्रतिशत ब्याज सहित मासिक किश्तें निर्धारित की जायेगी, जिसका भुगतान आवंटि को समयान्तर्गत प्रदेशन पत्र के अनुसार करना होगा।
- 3 किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर 13.5 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज देय होगा। बकाया धनराशि का भुगतान न करने पर परिषद नियमानुसार कटौती कर आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।

- 4 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
- 5 पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तो की धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट अथवा बैकर्स चैक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट बैकर्स चैक "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद" / "UPAVP" के नाम जो गाजियाबाद शहर / दिल्ली में देय हो, के पक्ष में होना चाहिये। उक्त ड्राफ्ट मांग-पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या / चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर जमा करना होगा।

### **आवंटन नियम :**

- 1 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता झा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- 2 आवेदक द्वारा केवल एक ही पंजीकरण योजना (स्व वित्त पोषित पंजीकरण योजना / सामान्य पंजीकरण योजना) में आवेदन अनुमन्य है, दोनो श्रेणी में आवेदन मान्य नहीं है। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को एस०एफ०एस० श्रेणी में माना जायेगा।
- 3 उपलब्ध फ्लैटों में एस०एफ०एस० योजना के आवेदको को सामान्य श्रेणी के आवेदको से वरीयता दी जायेगी।
- 4 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक होने पर लाटरी झा द्वारा पात्र आवेदको का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी।
- 5 योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की एक साथ पंजीकरण योजना में किये गये आवेदन के अनुसार डालकर श्रेणीवार लाटरी द्वारा फ्लैट की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी। आवेदको की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे।
- 6 समस्त चयनित आवेदक/पात्र समान होंगे। चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग से एक साथ रहने के आधार पर फ्लैटों की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर गुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। दो आवेदको की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी।
- 7 ग्रुपिंग की स्थिति में गुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव गुप को एक ही तल पर साथ-साथ समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 8 सम्पत्ति / तल संख्या का निर्धारण लाटरी द्वारा किया जायेगा। तल का निर्धारण में स्व वित्त पोषित व सामान्य श्रेणी के आवेदको की वरीयता समान होगी।
- 9 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन/आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों में व आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।

## असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

- 1 पात्रता चयन के पश्चात् असफल आवेदकों को 45 दिन के अन्दर नोडल बैंक द्वारा सीधे धनराशि आवेदक द्वारा दिये गये बैंक एकाउन्ट / चैक के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

## फ्लैट्स का कब्जा

- 1 फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 18 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 2 स्व वित्त पोषित योजना के आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट के मूल्य व अन्य समस्त देय धनराशि का परिषद खाते में भुगतान फ्लैट के पंजीयन / सेल डीड कराने से पूर्व करना होगा। सामान्य योजना के अर्न्तगत आवंटित सम्पत्ति के आवंटी को प्रदेशन पत्र के अनुसार वांछित धनराशि एवं अन्य समस्त देय धनराशि का भुगतान के उपरान्त फ्लैट के किराया किश्त क्रय अनुबन्ध कराना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
- 3 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को रू0-50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 4 एस0एफ0एस0 पंजीकरण योजना में आवंटित सम्पत्ति का कब्जा स्वीकृत मूल्यांकन के अनुसार पूर्ण मूल्य एवं अन्य समस्त देय धनराशि जमा करने पर विक्रय विलेख के पंजीयन के उपरान्त देय होगा।
- 5 सामान्य पंजीकरण योजना में आवंटित सम्पत्ति का कब्जा स्वीकृत मूल्यांकन का 50 प्रतिशत धनराशि एवं अन्य समस्त देय धनराशि जमा होने के बाद किराया किश्त क्रय अनुबन्ध के पंजीयन उपरान्त देय होगा तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि (सम्पत्ति के स्वीकृत मूल्य का 50 प्रतिशत) 11.5 प्रतिशत ब्याज सहित 10 वर्षों की मासिक किश्तों के भुगतान उपरान्त विक्रय विलेख निष्पादित कराना होगा।

## तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण / आवंटन / निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

## अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें

- 1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख किराया किश्त क्रय किरायेदारी का अनुबन्ध एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।
- 2 यदि आवंटी / आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण / आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण / फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक प्रपत्र यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।
- 3 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन मान्य होंगे।
- 4 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान लागू होंगे।
- 5 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पडा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।
- 6 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र गाजियाबाद होगा।
- 7 सम्पत्ति का अन्तिम मूल्य पात्रता ड्रा की तिथि पर लागू भूमि दर के आधार पर आगणित नहीं होगा अपितु नम्बरिंग ड्रा की तिथि पर प्रचलित दर के आधार पर मूल्य आगणित किया जायेगा सम्पत्ति के तल के अनुसार सूचित अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि सम्भावित है। 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।

## आरक्षण :

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	उ.प्र. सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अन्तर्गत उल्लिखित जातियाँ ही पात्र होगी। पंजीकरण आवेदन पत्रके साथ उ.प्र. शासन के जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रकी प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	-----तदैव-----
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	-----तदैव-----
4	मा० विधायक /सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राविधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण।
5	सरकारी सेवओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायो के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अर्न्तगत कार्यरत हों।
7	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी /अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें।
8	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। नेत्रहीन आवेदकों को उक्त में से शासनादेशों के अनुपालन में 1% आरक्षण देय है।
9	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

नोट:- उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 09 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशों के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। आवेदक को आरक्षण श्रेणी के प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य होगा।

## आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश:-

- 1 आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जाये।
- 2 आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 5 एवं 6 का) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जाये।
- 3 आवेदन पत्र कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा सत्यापित किये जाने हैं। अतः अंग्रेजी में सूचनाये भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरो (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
- 4 आवेदक केवल अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसे : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- 5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा
- 6 एक ब्लाक ( BLOCK ) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
- 7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोडा जायें।
- 8 आवेदन पत्र में बिन्दु-7 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरुष हेतु 'M' एवं महिला हेतु ' F ' भरें।
- 9 आवेदन पत्र के बिन्दु-3 पर अंकित सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण में से किसी एक सम्पत्ति श्रेणी को भरना होगा। एक से अधिक सम्पत्ति श्रेणी में आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
- 10 आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

## आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण कोड	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित / सामान्य	04
<b>हारिजेन्टल आरक्षण कोड</b>	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	<b>F</b>
उ.प्र. सरकार के सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	<b>G</b>
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	<b>B</b>
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	<b>R</b>
समाज के विकलांग व्यक्ति	<b>D</b>
वृद्धजन/वरिष्ठ नागरिक	<b>O</b>

हारिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही प्रथम अंकित विकल्प मान्य होगा।

- 11 आवेदन पत्र के बिन्दु-4 पर अंकित पंजीकरण / आवंटन हेतु भुगतान का विकल्प एवं आवेदित श्रेणी पर सही का निशान लगाये तथा सम्पत्ति का मूल्य हस्तलिपि में अंकित करें।
- 12 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण प्रमाण पत्र की पुष्टि अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- 13 पंजीकरण हेतु बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर **“उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद आवासीय योजना 2014 (UPAVP Housing Scheme 2014)”** दिल्ली/गाजियाबाद के पक्ष में देय होगा।
- 14 संलग्नकों के विवरण में कुल संलग्न किये गये अभिलेखों की संख्या व विवरण अंकित करना होगा। बैंक ड्राफ्ट का विस्तृत विवरण आवेदन पत्र के बिन्दु-12 में दिया जायेगा अतः इस स्तम्भ में बिन्दु 14 में बैंक ड्राफ्ट (उपरोक्तानुसार) लिखा जा सकता है एवं आरक्षण विषयक लाभ लेने हेतु लगाये गये संलग्नकों को सावधानी पूर्वक अंकित कर प्रार्थना पत्र के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
- 15 पात्रता ड्रा के बाद असफल होने पर धनराशि समय से परिषद द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर नोडल बैंक द्वारा सीधे आवेदनकर्ता को बैंक एकाउण्ट/चैक के माध्यम से रिफण्ड कर दी जायेगी। उक्त सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने की दशा में रिफण्ड के भुगतान में विलम्ब हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का कोई उत्तरदायित्व न होगा तथा इस हेतु विलम्ब के कारण परिषद की ओर से ब्याज आदि देय नहीं होगा। अतः आवेदन पत्र में अपना बैंक एकाउन्ट नम्बर, बैंक का नाम, शाखा एवं शहर व अन्य सूचनाओं का उल्लेख सही व त्रुटिरहित करें। उक्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक भरें ताकि आपका रिफण्ड गलती के कारण किसी गलत खाते में न जाने पायें।
- 16 आवेदन पत्र में केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षर किये जायें।
- 17 अपूर्ण आवेदनो पर विचार नहीं किया जायेगा। इस विषय में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
- 18 परिषद से भविष्य में पत्र व्यवहार के समय पंजीकरण/चालान संख्या, सम्पत्ति श्रेणी, तथा चरण 2014 अवश्य अंकित करें। पंजीकरण संख्या उपलब्ध न होने पर फार्म संख्या अंकित कर दें।
- 19 आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदन पत्र की छायाप्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें ताकि भविष्य हेतु सन्दर्भ रहें।
- 20 आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड एवं पहचान पत्र (वोटर आई0डी0, डी0एल0, पासपोर्ट आदि) की फोटो प्रति संलग्न करना होगा।
- 21 तालिका में दर्शाये गये फ्लैटों की संख्या घट बढ सकती है। जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

## मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द / शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ-जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:-

आवेदक का परिवार :-

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी / पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय :-

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति / पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड / भवन :-

“भवन या मकान” शब्द में : “फ्लैट” भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति :-

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन अथवा भूखण्ड से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना) :-

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर :-

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य :-

उ0प्र0 राज्य की सेवा में तथा उ0प्र0 राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है :-

- (1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो या जिसमें वीरगति प्राप्त की हों।

(2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

(3) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण की सुविधा वर्तमान में अनुमन्य नहीं है।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :-

सेवारत / सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य उ.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ0प्र0 (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1974 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य :-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन / विकलांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य :-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण / जल संस्थान / नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य :-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।



रु0-10.00 के रुतुडु डेडर डर (नूडू डुरर सतुडरडुत) सडकुष

रूडू आवरस एवं वरकरस डररषद

**शडथ डर**

डै शुरी / शुरीडती / कु0 ..... डुतुर / डतुनी .....  
..... उडुर ..... नरवरसी .....

डह शडथ डूरुवक डुडरन करतुर / करती हुँ कऱः-

- 1 डै उडरूकुत नरडुत एतदुदुवरर घूषणर करतुर / करती हुँ कऱ डैने इस आवेदुन डरतुर के सरथ दऱडे डडे डंकीकरण डूडनर के नऱडडू, शरतू दशररू, वरशूष सूकनररू की डररडरषर (उदरहरणररुथ डररवरर) डंकीकरण के इस करण की डुरकुरडर डऱसकर उलुलेख इस डुसुतऱकर डें कऱडर डडर है, डऱसके सरथ डह डुरडरतुर सडुडुदु है, कुू सुडरुषुत सडडु डऱडर तथर डें इसके डरलन कर वकन देतर / देती हुँ।
- 2 डऱस नडर अथवर कुषेतुर के लऱए डें आवेदुन कर रहर / रही हुँ उसडें डेरर अथवर डेरु डररवरर के कऱसुी सदसुड के नरड कुूई आवरसुीड डूखणुड / डवन नहीं है। डदऱ आरुवतुन के डूरुव आवेदुत नडर डें डेरु अथवर डेरु डररवरर के कऱसुी सदसुड दुरररर कुूई डूखणुड / डवन कुरड कऱडर डरतुर है तुू उसकी लऱखऱत सूकनर डें तुरनुत डररषद कुू डूँडर / डूँगी।
- 3 डेरु डर डेरु डररवरर के नरड उतुतर डुरदेश के कऱसुी डी नडर डें एक से अधऱक डूखणुड / डवन नहीं है।
- 4 डें एतदुदुवरर घूषणर करतुर / करती हुँ कऱ डेरु दुररर देी डडर उडरूकुत सूकनर डेरु अधऱकतड डूडरन एवं वऱशुवरस के अनुसुरर सरुवथर सतुड है और कुषु डी कुरऱडरडर नहीं डडर है।
- 5 डें एतदुदुवरर वकन देतर / देती हुँ कऱ डदऱ कऱसुी सडड डह डूडरतुर हुू कऱ डैने सुवडु के सडुडनुध डें कुूई असतुड वऱवरण डरनडूडुकर डररषद कुू दऱडे है तुू डररषद कुू डेरु वऱरूदुध ऐसुी कुूई कररुडुवरही करने कर अधऱकर डूगर डू वह उडडुकुत सडडुँ।
- 6 कुरडडर डेरर नरड इकुकु आवेदकुू / कुरेतुरररू की सूकऱ डें डंकीकृत करने कर कषुत करुँ।
- 7 डें ..... डह घूषणर करतुर / करती हुँ कऱ डेरुी डृतुडु हुू डरने डुर शुरी / शुरीडती ..... डू रऱशुते डें डेरु / डेरुी ..... हैं एवं खूनु के सडुडनुधी है, कुू इस डंकीकरण के नरडरनुतरण हेतु डुरथड वरुीडतुर डुर नरडुत करतुर / करती हुँ। डुरथड वरुीडतुर के नरडरनुतरुी की डृतुडु हुूने डुर इसुी कुरड डें शुरी / शुरीडती ..... डू डेरु / डेरुी ..... है एवं खूनु के सडुडनुधी है, कुू इस डंकीकरण हेतु दुवऱतुीड वरुीडतुर डुर नरडुत करतुर / करती हुँ।

आवेदक के हसुतुरकुषर

## पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंको की सूची

### भारतीय स्टेट बैंक

वसुन्धरा (नोडल शाखा)	—	सेक्टर-15, वसुन्धरा, गाजियाबाद, फोन : 0120-2884694, 2884693
मुख्य शाखा गाजियाबाद	—	नवयुग मार्केट, गाजियाबाद, फोन : 0120-2791069, 2791067, 2791330
लोनी गाजियाबाद	—	लोनी गाजियाबाद, फोन : 0120-4600282
सेक्टर-2, नोयडा	—	बी-138, सेक्टर-2, नोयडा, फोन : 0120-2523749, 2340642, 2523602, 2530171
मेरठ	—	मेरठ रूड़की रोड, मेरठ कैंट, मेरठ, फोन : 0121-2641027, 2648208, 2648731
मुजफ्फरनगर	—	रेलवे रोड, मुजफ्फरनगर, फोन : 0131-2437191
आगरा	—	छिपीटोला, एम.जी. रोड, आगरा, फोन : 0562-2364365, 2464365
कानपुर	—	द माल, कानपुर, फोन : 0512-304091, मो. : 9415043242
इलाहाबाद	—	इलाहाबाद ब्रांच, इलाहाबाद, फोन : 0532-608224, 608653, मो. : 9415347714
लखनऊ	—	तारा वाली कोठी, मोतीमहल मार्ग, लखनऊ, फोन : 0522-229812, मो. : 9415013423
गोरखपुर	—	गोरखपुर, फोन : 0551-338360
पटना	—	वेस्ट गांधी मैदान, पटना, फोन : 0612-223085
दिल्ली	—	दिलशाद गार्डन, दिल्ली, फोन : 011-22595125, 22126838
	—	पर्सनल बैंकिंग ब्रांच, नई दिल्ली, 11 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, फोन : 011-23374302, 23374342
ग्रेटर नोयडा	—	इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-1, ग्रेटर नोएडा, फोन : 0120-2320733, 2320736

उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका प्रचार अनुभाग उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर नियत समय में उपलब्ध होंगे किन्तु पंजीकरण आवेदन फार्म केवल उल्लिखित बैंक में ही जमा होंगे।

**नोट :-** असफल आवेदको की धनराशि की वापसी नोडल शाखाओ द्वारा ही की जायेगी। विस्तृत नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका से देखी जा सकती है।

**आनलाइन पंजीकरण हेतु भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन शाखा, लखनऊ को नामित किया गया है।**

## सिद्धार्थ विहार योजना, सेक्टर-7, गाजियाबाद में प्रस्तावित “गंगा, यमुना एवं हिण्डन एपार्टमेंट” बहुमंजिले फ्लैट्स के आन-लाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

उक्त योजना की सम्पत्तियों (फ्लैट्स) के आन-लाइन पंजीकरण (Online Registration) द्वारा आवेदन करने के क्रम में निम्नलिखित दो चरणों (Two Steps) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जायेगा :-

### प्रथम चरण (Step-1) :

#### आन-लाइन पंजीकरण (Registering Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)

- आन-लाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट [www.upavp.com](http://www.upavp.com) पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक Online Registration For Flats पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक "Ganga, Yamuna & Hindon Apartment, Siddharth Vihar Yojna-7, Ghaziabad पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना/फ्लैट्स की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढकर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई-मेल, इच्छित फ्लैट्स आदि विवरण आन-लाइन फीड किये जायेंगे।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन-लाइन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आईडी/पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण(Step-1) की ई-रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट-आउट में अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के 24 घण्टे (अथवा अगले कार्य दिवस) उपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:-
  - ✓ Visit website [www.upavp.com](http://www.upavp.com) & click on link "Online Registration of Flats"
  - ✓ Click on link "Registration Fee Payment" of concerning scheme's webpage.
  - ✓ Select payment category as 'Registration' and provide Registration ID, then click on 'Submit' button.
  - ✓ Provide the required necessary details & click 'Submit'
  - ✓ After clicking on 'Confirm' button 'State Bank MOPS\*' will be available.
  - ✓ Applicant can choose anyone option for making payment.
- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा परिषद खाते में धनराशि अंतरित होने की दशा में, आवेदक को Journal No./State Bank Collect Reference No./Transaction ID प्रदान किया जायेगा।

(नोट—डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक “UPAVP SFS HOUSING SCHEME 2014” के पक्ष में जोकि लखनऊ शहर में देय होना चाहिए।)

\*MOPS: Multi Option Payment System

## द्वितीय चरण (Step-2) :

### अंतिम रूप से आन-लाइन फार्म जमा करना (Finally Online Form Submission)

- आवेदक द्वारा प्रथम चरणानुसार (Step-1) पंजीकरण धनराशि / आवेदन शुल्क जमा करने के 24 घण्टे / पंजीकरण धनराशि परिषद खाते में अंतरित होने के उपरान्त पुनः परिषद वेबसाइट [www.upavp.com](http://www.upavp.com) के लिंक Online Registration For Flats पर जाकर संबंधित योजना के वेबपेज पर उपलब्ध लिंक 'Submit Application Details' पर क्लिक किया जायेगा।
- Login Panel के अंतर्गत आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन आई0डी0, पासवर्ड एवं Journal No./Refernece No./Transaction ID भरकर अपना आन-लाइन फार्म खोला जायेगा।
- आवेदक द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन फार्म में अपना Scanned कलर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए अन्य आवश्यक सूचनायें दर्ज की जायेगी।
- तत्पश्चात आवेदक द्वारा अपना आन-लाइन पंजीकरण फार्म Recheck करते हुए 'Submit' करना होगा।
- आन-लाइन रजिस्ट्रेशन फार्म Finally Submit कर अपने आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट दो प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा।
- तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियों (फोटो आई0डी0 प्रमाण, जाति प्रमाणपत्र आदि) सहित दिनांक 10-10-2014 तक निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेगें :-

"उप आवास आयुक्त,  
सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय  
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,  
आफिस काम्पलेक्स, वसुन्धरा योजना,  
गाजियाबाद (उ0 प्र0)-201012"



(स) ई-मेल आईडी (कोई हो)

(E-Mail ID)


11 स्थायी पता (Permanent Address)

(In English)


(हिन्दी में)

.....  
..... पिन कोड (Pin Code)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12 जमा की गई पंजीकरण धनराशि का विवरण / (Details of Registration Money Rs)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DD/BD/Bankers Cheque No/

दिनांक / Dated (DD/MM/YY)


निर्गतकर्ता बैंक तथा शाखा का नाम व पता / drawee Bank and Address of the branch


13 पंजीकरण राशि की वापसी हेतु सूचना / information of Applicants Account No to which refund is to be made

आवेदक के बैंक खाते का नम्बर

(Bank Account No)

बैंक का नाम

(Name of Bank)

शाखा का नाम

(Branch Name)

बैंक का माइक्र नं०

(MICR No of Bank)

बैंक शाखा का आईएफएसबी कोड

(IFSC Code of Bank Branch)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14 संलग्नको की संख्या व विवरण (अनिवार्य रूप से भरा जायें)

(Number & Details of enclosures (Compulsory))

कुल संलग्नक

(No of enclosures)

--

विवरण

(Details)

(a)

(b)

(c)

(b)

## घोषणा (Declaration)

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य है, इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और न ही इसका कोई भाग असत्य है। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने आवासीय फ्लैट्स योजना हेतु पुस्तिका में उल्लिखित समस्त नियम व शर्तों की भलीभांति पढ़ एवं समझ लिया है तथा एतद्वारा मैं उनसे सहमत तथा बाध्य हूँ। यदि मेरे द्वारा योजना के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन/मिथ्यारूपण पाया जाता है तो उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को आवेदन पत्र/आवृत्त फ्लैट को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

I hereby declare that the above information is true to the best of my knowledge, Nothing has been concealed and no part of it is false. I further declare that I have carefully read and understood the terms & conditions of the scheme and do hereby agree to abide by the same. the U.P. Housing & Development Board has full right to cancel application & allotment in case of false information submitted by me.

दिनांक

Signature of the applicant

आवेदक के हस्ताक्षर

## केवल बैंक के उपयोग के लिए

### FOR BANK USE ONLY

योजना का नाम  
सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद-2014

Form No

S-14/

आवेदक का नाम

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

पंजीकरण/आवटन हेतु भुगतान का विकल्प

अ स्व वित्त पोषित योजना

ब सामान्य पंजीकरण योजना

--	--

सम्पत्ति का मूल्य

सम्पत्ति का मूल्य

--	--

आवेदित श्रेणी पर सही का निशान लगाये तथा सम्पत्ति का मूल्य हस्तालिपि में अंकित करें।

सम्पत्ति श्रेणी

	A-1	A-2
<b>A</b> हिण्डन अपार्टमेन्ट	1 BHK	2 BHK
<b>B</b> यमुना अपार्टमेन्ट	2 BHK+Study Pent House Pearl	3 BHK Pent House Ruby
<b>C</b> गंगा अपार्टमेन्ट	3 BHK+Study 4 BHK+Study	3 BHK+Study+Terres Pent House Diamond
	B-1	B-2
	B-3	B-4
	C-1	C-2
	C-3	C-4

पंजीकरण संख्या

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

पंजीकरण धनराशि रू०

Registration Amount Rs

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

क्रेडिट की तिथि

Date of Credit

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

उक्त बैंक सम्बन्धित सूचना हमारे रिकार्ड के अनुरूप है।

आवेदक के हस्ताक्षर

(Signature of Applicant)

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

(Signature of Bank Officer)

## ACKNOWLEDGEMENT

योजना का नाम

सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद-2014

Form No

S-14/

आवेदक का नाम

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

पंजीकरण/आवटन हेतु भुगतान का विकल्प

अ स्व वित्त पोषित योजना

ब सामान्य पंजीकरण योजना

--	--

सम्पत्ति का मूल्य

सम्पत्ति का मूल्य

--	--

आवेदित श्रेणी पर सही का निशान लगाये तथा सम्पत्ति का मूल्य हस्तालिपि में अंकित करें

सम्पत्ति श्रेणी

	A-1	A-2
<b>A</b> हिण्डन अपार्टमेन्ट	1 BHK	2 BHK
<b>B</b> यमुना अपार्टमेन्ट	2 BHK+Study Pent House Pearl	3 BHK Pent House Ruby
<b>C</b> गंगा अपार्टमेन्ट	3 BHK+Study 4 BHK+Study	3 BHK+Study+Terres Pent House Diamond
	B-1	B-2
	B-3	B-4
	C-1	C-2
	C-3	C-4

Amount Received

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Date of Registration

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Name of Applicant


Bank Draft / Pay order No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Drawn Bank, Branch

Address .....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

(Signature of Applicant)

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर


(Signature of Bank Officer)

## रिफण्ड बाउचर का प्रारूप

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद

पंजीकरण / चालान संख्या-एस-14 / .....

क्रम संख्या	चालान संख्या	जमा धनराशि का विवरण	बैंक का नाम जिसमें धनराशि जमा की गयी	जमा तिथि	देख ब्याज (अदि देय है)	कुल देख धनराशि	कटौती का विवरण	सर्विस टैक्स मद में कटौती	वाणसी योग्य धनराशि	अन्त विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
					शून्य					



Revenue Stamp

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती /

कु0 .....

ने मेरे समक्ष रु0-1.00 के रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर

किये एवं इनका पता वही है जो नीचे लिखा है।

नाम:- .....  
 पता:- .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

फोन नं0 .....

बैंक खाता संख्या.-

शाखा का नाम व पता

भुगतान योग्य धनराशि का विवरण

चैक संख्या .....

धनराशि :- .....

दिनांक :

कैशियर

प्रमाणित करने वाले राजपत्रित अधिकारी का हस्ताक्षर

मोहर सहित

उप आवास आयुक्त